

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

मांग संख्या 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1833.60	...	1833.60	2122.08	...	2122.08	2322.08	...	2322.08	2970.30	...	2970.30
वसूलियां	-49.44	...	-49.44
प्राप्तियां
निवल	1784.16	...	1784.16	2122.08	...	2122.08	2322.08	...	2322.08	2970.30	...	2970.30
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	34.40	...	34.40	41.00	...	41.00	35.04	...	35.04	43.39	...	43.39
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	58.62	...	58.62	60.00	...	60.00	50.31	...	50.31	62.13	...	62.13
3. भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग	10.31	...	10.31	13.23	...	13.23
4. होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	4.64	...	4.64	5.00	...	5.00	1.73	...	1.73
5. भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	3.38	...	3.38	4.50	...	4.50	2.05	...	2.05
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	101.04	...	101.04	110.50	...	110.50	99.44	...	99.44	118.75	...	118.75
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढीकरण												
6. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/वैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	4.98	...	4.98	8.00	...	8.00	20.39	...	20.39	13.00	...	13.00
7. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4.93	...	4.93	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
8. केन्द्रीय औषध नियंत्रक, आयुष	0.09	...	0.09	1.50	...	1.50	0.05	...	0.05	1.50	...	1.50
9. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	0.33	...	0.33	1.00	...	1.00
10. सूचना, शिक्षा एवं संचार	43.34	...	43.34	44.50	...	44.50	22.70	...	22.70	46.20	...	46.20
11. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	29.99	...	29.99	25.00	...	25.00	43.00	...	43.00	38.60	...	38.60
12. एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल	2.65	...	2.65	2.80	...	2.80	1.80	...	1.80	4.10	...	4.10
13. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	3.50	...	3.50	6.00	...	6.00	5.96	...	5.96	6.00	...	6.00
14. अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	5.22	...	5.22	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.77	...	8.77

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढीकरण	95.03	...	95.03	101.80	...	101.80	106.90	...	106.90	123.17	...	123.17
15. चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	21.20	...	21.20	15.00	...	15.00	150.00	...	150.00
16. आयुर्वेद पर कार्यक्रम - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान	13.00	...	13.00	0.50	...	0.50
आयुष प्रदायगी पद्धति का सुदृढीकरण												
17. प्रधानमंत्री वृद्ध आयुष योजना	25.00	...	25.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	95.03	...	95.03	136.00	...	136.00	121.90	...	121.90	298.67	...	298.67
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
18. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	3.30	...	3.30	3.90	...	3.90	4.90	...	4.90	5.16	...	5.16
19. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	5.75	...	5.75	6.50	...	6.50	9.00	...	9.00	11.87	...	11.87
20. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	63.36	...	63.36
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	9.05	...	9.05	10.40	...	10.40	13.90	...	13.90	80.39	...	80.39
स्वायत्त निकाय												
21. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	280.68	...	280.68	297.00	...	297.00	273.00	...	273.00	328.27	...	328.27
22. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	128.83	...	128.83	138.50	...	138.50	130.50	...	130.50	167.58	...	167.58
23. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	159.54	...	159.54	157.00	...	157.00	164.05	...	164.05	167.79	...	167.79
24. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान												
24.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	79.28	...	79.28	76.48	...	76.48	313.80	...	313.80	348.87	...	348.87
24.02 एचईएफए ऋण पर व्याज भुगतान	0.01	...	0.01
24.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	0.01	...	0.01
जोड़- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	79.28	...	79.28	76.50	...	76.50	313.80	...	313.80	348.87	...	348.87
25. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता												
25.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	87.59	...	87.59	75.48	...	75.48	146.22	...	146.22	148.12	...	148.12
25.02 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	0.01	...	0.01
25.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	0.01	...	0.01
जोड़- राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	87.59	...	87.59	75.50	...	75.50	146.22	...	146.22	148.12	...	148.12
26. अन्य स्वायत्त निकाय												
26.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता	397.08	...	397.08	415.65	...	415.65	659.27	...	659.27	758.06	...	758.06
26.02 एचईएफए ऋण पर व्याज भुगतान	0.02	...	0.02
26.03 एचईएफए ऋण से मूलधन का पुनर्भुगतान	0.01	...	0.01
जोड़- अन्य स्वायत्त निकाय	397.08	...	397.08	415.68	...	415.68	659.27	...	659.27	758.06	...	758.06
जोड़-स्वायत्त निकाय	1133.00	...	1133.00	1160.18	...	1160.18	1686.84	...	1686.84	1918.69	...	1918.69
अन्य												
27. वास्तविक वसूलियां	-49.44	...	-49.44
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1092.61	...	1092.61	1170.58	...	1170.58	1700.74	...	1700.74	1999.08	...	1999.08

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
28. राष्ट्रीय आयुष मिशन	495.48	...	495.48	705.00	...	705.00	400.00	...	400.00	553.80	...	553.80
कुल जोड़	1784.16	...	1784.16	2122.08	...	2122.08	2322.08	...	2322.08	2970.30	...	2970.30
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1263.42	...	1263.42	1361.08	...	1361.08	1825.31	...	1825.31	2316.80	...	2316.80
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	34.40	...	34.40	41.00	...	41.00	35.04	...	35.04	43.39	...	43.39
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1297.82	...	1297.82	1402.08	...	1402.08	1860.35	...	1860.35	2360.19	...	2360.19
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	103.00	...	103.00	113.00	...	113.00	121.31	...	121.31
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	483.96	...	483.96	608.00	...	608.00	325.40	...	325.40	463.80	...	463.80
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.38	...	2.38	9.00	...	9.00	23.33	...	23.33	25.00	...	25.00
जोड़-अन्य	486.34	...	486.34	720.00	...	720.00	461.73	...	461.73	610.11	...	610.11
कुल जोड़	1784.16	...	1784.16	2122.08	...	2122.08	2322.08	...	2322.08	2970.30	...	2970.30

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालयीय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वोस्त गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संबिदात्मक कृषि स्कीमों चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्तीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग:** यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत में सभी ए.एस.यू.एंड.एच. औषधियों से संबंधित औषध परीक्षण हेतु एक अपीलीय प्राधिकरण है। इसके अलावा, यह संगठन सभी ए.एस.यू.एंड.एच. औषधियों के लिए मानक निर्धारित करता है जो भेषज संहिता के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

4. **होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** होम्योपैथिक औषधों की पहचान और शुद्धता के लिए मानक निर्धारित करना और विदेशी औषधों के स्थान पर स्वदेशी औषधों का पता लगाना।

5. **भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद:** एएसयू औषधों के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित करना और गुणवत्तायुक्त नियंत्रण उपाय लागू करना तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधों का गुणवत्तायुक्त नियंत्रण परीक्षण करके केंद्रीय स्तर पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों को लागू करना।

6. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता:** ख्याति प्राप्त आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्नयन उत्कृष्टता स्तर तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

7. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्सावर्ध्यासियोंके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

8. **केंद्रीय औषध नियंत्रक, आयुष:** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष की ऊर्ध्वधर संरचना सृजित करना।

9. **आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास:** इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने के लिए मामूली प्रावधान किया गया है।
10. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागृति उत्पन्न करना। इस प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देना भी शामिल है।
11. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोबा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाता तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थापना करना।
12. **एएसयू औषधियों के लिए भेषज सतर्कता पहल:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी की सुरक्षा निगरानी और विपणनोपरांत सर्वेक्षण के लिए सांस्थानिक तंत्रविकसित करना।
13. **आयुष कार्मिकों का पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्यावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।
14. **अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** प्राथमिकतापरक बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टि कोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक छान-बीन करना।
15. **वैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर अस्पताल की स्थापना और आयुष ग्रिड के कौशल विकास और स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।
16. **आयुर्वेद पर कार्यक्रम - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान:** योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढीकरण और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बेहतर समझ और प्रयोग के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को लागू करके मूल विज्ञान और चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के साथ आयुर्वेद के समेकन के क्षेत्रों तथा व्यावहारिक मॉडलों का पता लगाने के लिए एक मंच विकसित करना है।
17. **प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना:** 4000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से हर्बल खेती करना, जैसा कि आत्म निर्भर भारत 2020 में घोषणा की गई है।
18. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योपैथी के केंद्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण, दूसरी अनुसूची में योग्यता को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में नए कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।
19. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके आईएसएम कॉलेजों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970

की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्यताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना (iii) भारतीय चिकित्सा की योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना (iv) चिकित्सा अभ्यासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का अनुरक्षण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाचिप चिकित्सा अभ्यासियों को नामांकन/प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

20. **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करता है जिसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है।

21. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषजसंहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन।

22. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

23. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिसूची विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

24. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं डाक्टरोपरांत (एमडी/पीएचडी) शिक्षा के लिए मानक-आधार तैयार करना।

25. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना।

26. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें (i) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली (iv) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई (v) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलूर (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली (vii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (viii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), शिलांग (ix) पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट (x) राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (xi) राष्ट्रीय सोबा-रिग्पा संस्थान तथा (xii) राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

28. **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से वैश्विक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध करना; स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, , सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के रूप में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के उन्नयन के जरिए व्यापक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मसियों, औषधि परीक्षण का उन्नयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटी उद्योग

और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।